



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड भोपाल



क्रमांक/रा.स्वा.मिशन./शहरी स्वास्थ्य/2018/ 11212  
प्रति,

भोपाल, दिनांक...14/11/18

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवाए मध्यप्रदेश।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी बासौदा, सिरोंज (विदिशा), गोहद (भिण्ड), डाबरा (ग्वालियर), खचरोद-नागदा (उज्जैन), जावरा (रतलाम), ब्यावरा (राजगढ़), नालछा-पीथमपुर (धार), महू (इन्दौर), सेधवा (बड़वानी), राधवगढ (गुना), घोड़ाडोगरी (बैतूल), शुजालपुर (शाजापुर), केसला (होशंगाबाद), आष्टा (सीहोर), खुरई, बीना (सागर), गाडरवारा (नरसिंहपुर) एवं अब्बदुल्लागंज-मंडीदीप (रायसेन)।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिविल डिस्पेंसरी/यू.पी.एच.सी. हेतु स्वीकृत गतिविधि क्रमांक U.1 फेसिलिटी बेस्ड सर्विस डिलेवरी के संचालन हेतु दिशा निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिले में यू.पी.एच.सी. के अलावा संचालित अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे - सिविल डिस्पेंसरी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की गणना भी शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के रूप में की जायेगी। इन सभी शहरी संस्थाओं का संचालन सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकके स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा (पत्र क्रमांक/रा.स्वा.मि./शहरी स्वास्थ्य-पी/2018/3109 दिनांक 23.03.2018)। जिलों में शहरी नोडल ऑफिसर (डी.एच.ओ-I/डी.एच.ओ-II/डी.आई.ओ. या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा नामांकित कर्मठ जिलाधिकारी) रहेंगे।

वित्तीय व्यवस्था- शहरी स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राशि ई-वित प्रवाह द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का ऑपरेशनल एक्सपेंस एवं अन्टाइड ग्रांट की राशि जिला शहरी नोडल ऑफिसर एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल ऑफिसर संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाये। शेष अन्य जिला स्तरीय गतिविधियां शहरी नोडल ऑफिसर के द्वारा ए.पी.एम./डी. पी.एम. के द्वारा संचालित की जाये। (संदर्भ पत्र क्रमांक/रा.स्वा.मिशन/2018/10781 भोपाल दिनांक 23/10/2018) संस्था स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवायें-

सभी शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं पर सभी 13 तरह की तथा यू.एच.एन.डी. पर 8 प्रकार की सेवा की प्रदायगी (संदर्भ पत्र क्रमांक) की जाये।

➤ निश्चित दिवस सेवा-

निम्नानुसार निश्चित दिवस पर प्रदान की जाये-

- सोमवार एवं गुरुवार - ए.एन.सी. एवं एनीमिया मैनेजमेंट दिवस
- मंगलवार एवं शुक्रवार - टीकाकरण एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस
- बुधवार - एन.सी.डी. (बी.पी., डायबिटीज, एवं ओरल कैंसर जांच) दिवस
- शनिवार - परिवार कल्याण दिवस

➤ गतिविधि क्रमांक U.1.1.2 सपोर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्यूनिकेबल डिजीस कंट्रोल के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑन-कॉल गतिविधि में शहरी स्वास्थ्य संस्थाओ (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल डिस्पेंसरी) हेतु प्रति शहरी स्वास्थ्य संस्था पर प्रतिमाह 6 स्पेशलिस्ट आनकॉल बुलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल स्पेशलिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शामिल होंगे। इस हेतु राशि रुपये 1500.00 प्रति कॉल के मान से स्वीकृत किया गया है।

इसके लिये स्थानीय स्तर पर लीडिंग न्यूज पेपर में विज्ञापन जारी कर स्थानीय विशेषज्ञों से आवेदन प्राप्त कर पैनल बनायें एवं संस्थावार रोस्टर तैयार करवा कर उपरोक्तानुसार निश्चित दिवस पर सेवायें प्रदान कराये, इस हेतु IMA, FOGSI, Dental anouation, IAP की बैठक कर सूचित करें। बड़े शहरों में 1500.00 रुपये में एक कॉल के लिये स्पेशलिस्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतिमाह 6 के स्थान पर 4/5 बार भी कॉल किया जा सकते हैं।

निकटवर्ती शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं को पूल करते हुए इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि निर्धारित दिवसों में अधिक से अधिक लोग विशेषज्ञ सेवा का लाभ ले सकें। प्रत्येक स्पेशल आउट रीच केम्प के दौरान देखे गये मरीजों का रिकार्ड पृथक से एक अलग रजिस्टर में संधारित करें। स्पेशल आउट रीच केम्प का भुगतान उनके एकाउंट में ट्रांसफर कर किया जाये।

- **गतिविधि क्रमांक U.1.3.1 आपरेशनल एक्सपेन्सेस**— के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल डिस्पेंसरी) हेतु आफिस एक्सपेन्सेस के अंतर्गत राशि रूपये 7000.00 प्रति शहरी स्वास्थ्य संस्था के मान से 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं प्रिन्टर के टोनर रीफिलिंग, यू.पी.एच.सी. की एवं उसके आस-पास की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था (भवन में न होने पर) आदि में तथा शेष राशि का उपयोग मेडिकल ऑफिसर/एल.डी.सी. कम एम.आई.एस. द्वारा यू.एच.एन.डी. मॉनिटरिंग के लिये स्वयं के वाहन में पी.ओ.एल./ऑटो के लिये आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

इन सभी व्यय का ब्यौरा रजिस्टर में रखते हुए वास्तविक व्यय के बिल वाउचर शहरी नोडल ऑफिसर से सत्यापित कर संधारित किये जाये।

मानव संसाधन – शहर की सभी शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (सिविल डिस्पेंसरी/यू.पी.एच.सी.)में पदस्थ नियमित एवं सविदा स्टाँफ की गणना कर युक्तीयुक्तीकरण के द्वारा प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य संस्था पर निम्नलिखित स्टाँफ की मौजूदगी सुनिश्चित की जाये—

- फुल टाइम एम.ओ – 1 प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ।
- स्टाफनर्स – 2 प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ।
- ए.एन.एम – 2 ए.एन.एम प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के मान से, जो शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के कैचमेन्ट क्षेत्र में यू.एच.एन.डी./आउट रीच केम्प अयोजित करेगी ।
- लेब टेक्नीशियन-1 प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ( 14 नगर निगम शहरों में लैब से संबंधित सभी 18 जाँचे आउट सोर्सिंग (एन.ए.बी.एल ) के माध्यम से की जा रही है। 18 लेब जाँचों में से 8 जाँचे रेपिड टेस्ट किट के माध्यम से स्टाँफ नर्स/ए.एन.एम. अथवा स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाँफ द्वारा तथा शेष 10 जाँचे एन.ए.बी.एल. ऑउटसोर्स लैब द्वारा की जाएगी ।
- एम.आई.एस कम डाटा असिस्टेन्ट – 1 प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (सभी शहरों में) ।
- सर्पोट स्टाँफ – 1 प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ।

उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत गतिविधियों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करे ।

o/c (डॉ. बी.एन. चौहान)  
संचालक, एन.एच.एम.  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 14.11.18

पृ. क्रमांक/रा.स्वा. मिशन /शहरी स्वास्थ्य/2018/ 11213  
प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम.,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक आशा सेल, हेल्थ एण्ड वेलनेस एवं एच.एम.आई.एस. भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक,एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/सहायक कार्यक्रम प्रबंधक,मध्यप्रदेश।
9. जनरल मैनेजर टी.सी.आई.एच.सी मध्यप्रदेश।
10. राज्य प्रतिनिधि विश फाउण्डेशन मध्यप्रदेश।

o/c संचालक, एन.एच.एम.  
मध्यप्रदेश